उद्यमिता (Entrepreneurship)

Introduction to Entrepreneurship :- आज का युग औद्योगिक युग है। भारत एक विकासशील देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि गाँवों में नए-नए उद्योग धन्धों की स्थापना की जाए। औद्योगीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा रहन-सहन के तरीकों में सुधार आता है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आज भी भारत में अनेकों ऐसे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ दूर-दूर तक औद्योगीकरण का नाम ही नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण की ऐसी नीतियाँ चलायी जा रही हैं जो शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तथा पर्वतीय इलाकों में भी नए-नए उद्योग-धन्धे स्थापित करने में सहायता प्रदान करें। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अनुकूल औद्योगिक वातावरण नहीं होता। अतः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सर्वप्रथम लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके। वर्तमान में नवयुवक शिक्षित होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि नवयुवक अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करते हैं तो इससे एक ओर बेरोजगारी की समस्या कम होगी और दूसरी ओर आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा :- उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम आयरिश अर्थशास्त्री 'रिचर्ड केंटीलोन' द्वारा परिभाषित किया गया। ऐसा माना जाता है कि "जीन- बपतिस्ते -से" नामक फ्रेंच अर्थशास्त्री ने सबसे पहले 'उद्यमी' शब्द प्रतिपादित किया उनके अनुसार- "वह व्यक्ति जो पूँजी और श्रम के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है उद्यमी कहलाता है।"

उद्यमिता एक साहस एवं जोखिम भरा कार्य है, जो उद्योग धन्धे स्थापित करने के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। उद्यमिता किसी नए उत्पाद एवं वस्तु को तैयार करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत उस वस्तु का विक्रय, व्यापार का स्तर एवं सेवा आदि भी सम्मिलित है।

परिभाषायें :-

प्रो० राव एवं मेहता के शब्दों में- "उद्यमिता वातावरण सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है।"

एच० डब्ल्यू० जॉनसन के शब्दों में- उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है- अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन।"

पीटर एफ० ड्रकर के शब्दों में- व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक प्रयुक्त करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है।

Scanned with Cam

प्रो० मुसेलमान एवं जेक्सन के शब्दों में- "किसी व्यवसाय को प्रारम्भ करने एवं उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयास का विनियोग करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है।

रिचमेन तथा कोपेन के शब्दों में- उद्यमिता किसी सृजनात्मक, बाह्य अथवा खुली प्रणाली की ओर संकेत करती है। यह नवप्रवर्तन, जोखिम वहन तथा गतीशील नेतृत्व का कार्य है।

उद्यमिता की विशेषताऐं (Characteristics of Entrepreneurship)-

उद्यमिता की निम्नलिखित विशेषताऐं हैं।

(1) जोखिम उठाना
(2) ज्ञान व अनुभव पर आधारित
(3) रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रिया
(4) सभी क्षेत्रों में सफल
(5) नव प्रवर्तन
(6) एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन आचरण
(7) परिवर्तनों का परिणाम
(8) धन सृजन करने की क्षमता
(9) बाह्य एवं खुली प्रणाली
(10) उद्यमिता एक अर्जित गुण है, स्वाभाविक नहीं
(11) पेशेवर क्रिया के रूप में
(12) जीवन एक कला
(13) व्यवसायिक प्रवृत्ति
(14) सभी व्यवहार एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक
(15) परिणामों को महत्व

उद्यमिता की आवश्यकता एवं महत्व :

(1) रोजगार के नए अवसर
(2) सन्तुलित विकास
(3) तीव्र आर्थिक विकास
(4) आत्मनिर्भर समाज
(5) पूँजी निर्माण
(6) सरकारी नीतियों को क्रियात्मक बनाने में योगदान
(7) साधनों का कुशलतम प्रयोग।

Scanned with Cam

उद्यमी (Entrepreneur):- प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी नहीं होता है बल्कि कुछ विशेष गुण वाला ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय से सम्बन्धित प्रत्येक निर्णय बहुत कुशलतापूर्वक लेता है, जोखिम उठाता है और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है, उद्यमी कहलाता है। उद्यमी शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम सन् 1800 ई० में फ्रांस के अर्थशास्त्री जॉन-बपतिस्ते से द्वारा दी गई। उनके अनुसार- "उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक स्रोतों की उत्पादकता को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाता है।"

परिभाषाएँ:

प्रो० मार्शल के अनुसार: "उद्यमी उद्योगों का कप्तान होता है क्योंकि वह खतरा एवं निश्चितता का वाहक ही नहीं होता बल्कि वह एक प्रबन्धक, भविष्यदृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक भी होता है तथा देश के आर्थिक ढाँचे का निर्माता होता है। अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए एक ओर वह उद्योग की आन्तरिक व्यवस्था पर पूरी नजर रखता है तथा दूसरी ओर वह अपने प्रतियोगियों की गतिविधियों का भी पूरा ध्यान रखता है।

रिचर्ड केन्टीलोन के अनुसार - उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पत्ति के साधनों को निश्चित मूल्य पर बेचता है।

एफ० बी० हॉले के अनुसार -- उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साधन ही उद्यमी होता है।

इस प्रकार उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो लघु उद्योगों की स्थापना करता है, उससे सम्बन्धित जोखिम उठाता है, सभी निर्णय कुशलतापूर्वक लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।

उद्यमी के गुण:

(1) उद्यमी कुछ असम्भव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा समाज में दूसरे व्यक्तियों से अलग पहचान बनाना चाहते हैं।
(2) उद्यमी एक रवोणी जानवर है जिसकी ओर समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं दार्शनिकों का ध्यान आकर्षित रहता है।
(3) वह परिश्रमी एवं प्रयत्नशील होता है।
(4) वह नवीनता का इच्छुक एवं हीनता की भावना से मुक्त होता है।
(5) वह शोध, विकास एवं परिवर्तन का इच्छुक होता है।
(6) वह कुशल विक्रेता, मित्रों का हृदय जीतने में सक्षम होता है।
(7) वह अपरिचितों को प्रभावित करने वाला होता है।
(8) वह कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला होता है।
(9) वह नवीन सम्प्रदाय स्थापित करने वाला होता है।

Scanned with Cam

(10) वह समयानुसार स्वयं को ढालने वाला होता है।
(11) वह चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होता है।
(12) वह लाभ अर्जित करने का इच्छुक होता है।
(13) वह जोखिम उठाने वाला होता है।
(14) वह आत्मविश्वासी होता है।
(15) वह इच्छाशक्ति से परिपूर्ण होता है।
(16) वह सफलता के प्रति पूर्ण आशावादी होता है।
(17) वह परिणाम प्राप्ति के लिए दायित्व उठाने वाला होता है।
(18) वह समय का मूल्य पहचानने वाला होता है।
(19) वह चतुर, प्रसन्न तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है।
(20) वह सत्यनिष्ठा एवं कर्म में विश्वास करने वाला होता है।
(21) वह व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वाह करता है।
(22) वह धैर्य रखता है।
(23) वह प्रयत्नों का परिणाम जानने का इच्छुक रहता है।
(24) वह असन्तोषी व्यक्ति होता है।
(25) वह दूरदर्शी होता है।
(26) वह आत्मविश्वासी होता है।

उद्यमी विकास में सहायक संस्थायें (Entrepreneurial Support System).

(1) जिला उद्योग केन्द्र (District Industry Centre) – भारत में सन 1978 में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर समग्र प्रशासकीय क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र की एक विस्तृत योजना तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के उद्यमियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छोटे उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं जैसे – उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों पर जाने तथा ट्रेनिंग के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि ये सभी सुविधायें इन्हें जिला उद्योग केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका तथा कार्य :-

(I) पंजीकरण। (II) वित्तीय सहायता
(III) प्रोत्साहन तथा सुविधायें (IV) आयात तथा निर्यात करने हेतु सहायता

(2) वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks)- भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार से सहायता प्रदान करना है। आज का युग औद्योगिकरण का युग है, इस युग में उद्योगों एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्न प्रकार की सुविधाएँ उद्यमियों को प्रदान की जाती हैं।

* वाणिज्यिक बैंक नए एवं पुराने उद्यमियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय आवश्यक सलाह देकर उनकी सहायता करते हैं।
* वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समय-समय पर उद्यमियों की सहायता के लिए नई-नई योजनाएँ बनाई जाती हैं।
* वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पावधि एवं मध्यावधी दोनों प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वाणिज्यिक बैंकों लघु उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए तीन मुख्य योजनाएँ चलाई जाती हैं।

(I) उदार एवं स्वतंत्र योजना (Liberalised scheme)
(II) उद्यमी योजना (Entrepreneur scheme)
(III) समता कोष योजना (Equity fund scheme)

(3) राज्य वित्त निगम (State financial corporation) - सन् 1951 में राज्य वित्त निगम एक्ट संसद में पारित किया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्य में राज्य वित्त निगम स्थापित किए। ये निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं जो अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन होते हैं। इन निगमों का मुख्य कार्य वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण तथा भूमि खरीदने, भवन निर्माण, मशीनरी एवं उपकरणों के खरीदने एवं नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण सीमा 5 हजार रु० से 90 हजार रु० तक दी जा सकती है। ऋण लौटाने की सीमा 5 से 10 वर्ष तक हो सकती है। इन निगमों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्न हैं।

~~वित्तीय~~ योजनाएँ (financial scheme)

* संयुक्त ~~ऋण~~ योजना
* लघु इकाई योजना

Scanned with Cam

- * विकलांगों के लिए योजना
- * भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना
- * तकनीकी उद्यमियों के लिए योजना
- * एस०सी, एस०टी० के उद्यमियों के लिए योजना
- * होटल उद्योग को वित्तीय सहायता हेतु योजना
- * योग्य प्रोफेशनल व्यक्तियों हेतु योजना
- * महिला उद्यम निधि योजना
- * महिला उद्यमियों के लिए योजना
- * सड़क परिवहन आपरेटरों के लिए योजना
- * निर्यात मूलक इकाइयों को प्रोत्साहन
- * छोटे, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बाजार की सहायता हेतु योजना
- * छोटे अस्पतालों / नर्सिंग होम को वित्तीय सहायता हेतु योजना
- * उद्योगों के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय सहायता
- * जीरोक्स मशीन / टेलिकम्युनिकेशन उपकरण / कम्प्यूटर क्रय हेतु सहायता

प्रोत्साहन योजनायें (Promotional scheme)

- * विशेष पूँजी योजना
- * ब्रिजिंग व ऋण
- * मूल पूँजी सहायता
- * राष्ट्रीय समता कोष योजना
- * उपकरण पुन: वित्त योजना
- * आधुनिकीकरण योजना
- * बीमार इकाइयों की पुनर्स्थापना योजना

(4) लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institutes - SISIs)

भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार को और अधिक तीव्र गति से बढ़ाने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान (संस्थागत सेवा प्रदान करने के लिए) बनाये गये क्योंकि लघु उद्योगों की सफलता का मापदण्ड कार्य महत्वपूर्ण सीमा तक संस्थागत ढाँचे पर निर्भर करता है। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना एक बहुउद्देशीय संस्था के रूप में की गयी जिसका कार्य लघु उद्योगों, सरकारी एवं गैरसरकारी तथा अन्य एजेन्सियों को श्रेष्ठ सलाहकार के रूप में सलाह देना एवं अन्य सेवायें प्रदान करना है।

विभिन्न विभाग / संगठन – लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा निम्नलिखित विभागों विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों को सेवायें प्रदान की जाती है।

* लेखा सहित प्रशासनिक विभाग।
* चर्म विभाग
* औद्योगिक डिजाइन विभाग
* रासायनिक विभाग
* धातुकर्म विभाग
* सिरेमिक एवं काँच विभाग।
* यांत्रिक विभाग।

कार्य – लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं।

(I) सलाह देना
(II) तकनीकी सलाह देना
(III) वर्कशॉप तथा प्रयोगशाला सेवा प्रदान करना
(IV) प्रबन्ध सम्बन्धी सलाह देना

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small ~~Scal~~ Industries Development Bank of India : SIDBI) :–

02 अप्रैल 1990 को लघु उद्योग इकाइयों की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखकर लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य मुख्यतः लघु औद्योगिक इकाइयों की उन्नती, वित्तीय सहायता एवं विकास करना था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य लघु उद्योगों का अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाना भी था। इसका मुख्य कार्यालय मुम्बई में है जिसके 5 रीजनल ऑफिस तथा 21 ब्राँच ऑफिस जिसके माध्यम से यह बैंक पूरे भारत में कार्य करता है।

SIDBI की विभिन्न सहायक योजनाओं के नाम :–

पुनः वित्तीय सहायता के लिए (Refinance) :–

* सामान्य योजना
* छोटे, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए योजना
  - संयुक्त ऋण योजना
  - अनुसूचित जाति / जनजाति तथा विकलांगों के लिए योजना
* विशिष्ट योजनाएं

Scanned with Cam

* उपकरण पुन: फाइनेन्स योजना
* छोटे सड़क परिवहन आपरेटरों के लिए योजना
* व्यवसायियों के लिए योजना
* मार्केटिंग गतिविधियों के लिए योजना
* दवा व्यवसायियों के लिए योजना
* टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों के लिए योजना
* आधारभूत संरचना के विकास के लिए योजना
* इक्विटी की सहायक योजनाएँ
* महिला उद्यमी के लिए योजना
* भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए योजना
* एकल खिड़की योजना

सीधी सहायता प्रदान करने के लिए योजना!

* विशिष्ट विपणन एजेन्सियों के लिए योजना
* सहायक इकाइयों के लिए योजना
* लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने हेतु योजना
* उपकरण वित्त योजना

बिल योजनाएं !—

बिलों की पुर्नछूट योजना

- BRS (उपकरण के लिए)
- BRS (अल्पावधि के लिए)

सीधी छूट योजना

- DDS (उपकरणों के लिए)
- DDS (अवधयों के लिए)

(6) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development - NABARD) :—

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों, शिल्पकारों, हस्तशिल्पों एवं अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों की सहायता द्वारा उत्पादन एवं नियोजन सम्बन्धी ऋणों के लिए राज्य सरकार के केन्द्रीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य अनुमोदित संस्थाओं को पुर्नवित्त की सहायता प्रदान करना है।

(7) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Scale Industries Corporation-NSIC)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कार्य प्रणाली किराया क्रय आधार पद्धति पर मशीनरी की सप्लाई पर आधारित है। यह निगम देश के लघु एवं सहायक, दोनों प्रकार के उद्योगों को ही मशीनों की सप्लाई की सुविधा प्रदान करता है। निगम अपने ही देश में बनी मशीनें अथवा विदेशी मशीनें उपलब्ध कराता है जिनसे लघु उद्योग का उत्पादन बढ़ता है। इनके द्वारा बनायी गई वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ती है एवं विदेशी मुद्रा की बचत होती है। निगम द्वारा सप्लायर की खोजना एवं मशीनरी की डिलीवरी तक का सारा कार्य स्वयं किया जाता है।

(8) राज्य/राष्ट्रीय स्तर के अन्य सम्बन्धित संस्था/संगठन :-

* राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं विकास निगम
* भारतीय उद्यमी विकास संस्थान
* राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यापार विकास संस्थान
* राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम
* तकनीकी सलाहकार संगठन
* इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
* निर्यात प्रोत्साहन काउंसिल
* राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान
* चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री
* स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया
* भारतीय उद्योग संगठन

Scanned with Cam

बाजार सर्वेक्षण एवं अवसर पहचान (व्यावसायिक नियोजन)
Marketing Survey and Oportunity Identification (Business Planning)

लघु उद्योग : परिचय :- लघु उद्योगों को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए सन 2006 में "सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006" पारित किया गया। इस अधिनियम में उपक्रमों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है।

(I) निर्माणी कार्यों में लगे हुए उपक्रम
(II) सेवा कार्यों में लगे हुए उपक्रम

इन उपक्रमों को पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है- सूक्ष्म (micro) लघु (small) एवं मध्यम (Medium)

इन उपक्रमों में संयन्त्र, मशीनरी एवं उपकरण में विनियोग की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई -

निर्माण उपक्रम (Manufacturing Enterprises)	सेवा उपक्रम (Service Enterprises)
सूक्ष्म उपक्रम - 25 लाख रु० तक	सूक्ष्म उपक्रम - 10 लाख रु० तक
लघु उपक्रम - 25 लाख रु० से अधिक तथा 5 करोड़ रु० तक	लघु उपक्रम - 10 लाख से अधिक तथा 2 करोड़ रु० तक
मध्यम उपक्रम - 5 करोड़ रु० से अधिक तथा 10 करोड़ रु० तक	मध्यम उपक्रम - 2 करोड़ रु० से अधिक तथा 5 करोड़ रु० तक

लघु उद्योगों का वर्गीकरण :- लघु उद्योगों को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है

(1)- **परम्परागत लघु उद्योग :-** इसमें कुछ मुख्य उद्योग जैसे - हस्तकला उद्योग, रेशम कीड़ा पालन एवं हथकरघा खादी उद्योगों को शामिल किया जाता है।

(2)- **आधुनिक लघु उद्योग :-** ये उद्योग प्रायः शहरों में लगाये जाते हैं। ये प्रायः विद्युत शक्ति से चालित होते हैं। ये कम श्रमिक एवं अधिक मशीनों से कार्य करते हैं। इनमें शक्ति चालित करघा, मशीन के पुर्जे बनाने वाले इसी प्रकार के अन्य उद्योग शामिल किये जाते हैं।

लघु उद्योगों का महत्व !

* महात्मा गाँधी के अनुसार - "भारत का कल्याण इसके लघु एवं कुटीर उद्योग में निहित है।"
* योजना आयोग के अनुसार - " लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

Scanned with Cam

लघु उद्योगों के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

(1) रोजगार में वृद्धि
(2) औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण में सहायक
(3) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल
(4) सन्तुलित आय का अधिक समान वितरण।
(5) कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी
(6) रोजगार का स्थायित्व
(7) कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन
(8) देश का सन्तुलित विकास
(9) औद्योगिक समस्या का अभाव
(10) शीघ्र उत्पादक उद्योग
(11) आयात पर कम निर्भरता
(12) निर्यात में सहायक
(13) तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता
(14) उत्पादन की उत्तम किस्म
(15) मानवीय मूल्यों का विकास

लघु उद्योग की समस्यायें :- लघु उद्योग की कुछ समस्यायें भी होती हैं; कुछ प्रमुख प्रकार की समस्यायें निम्न हैं;

(1) कच्चे माल की समस्या
(2) वित्त की समस्या
(3) विपणन की समस्या
(4) बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता
(5) नये सम्बन्धी शिक्षा का अभाव
(6) स्वरूपता का अभाव
(7) कुशल प्रबन्धकों का अभाव
(8) शक्ति की अपर्याप्तता।
(9) सूचनाओं एवं परामर्श का अभाव
(10) परिवहन सुविधाओं का अभाव
(11) कारीगरों के संगठन का अभाव

Scanned with Cam

लघु उद्योग प्रारम्भ कैसे किया जाये :- लघु उद्योग प्रारम्भ करने के मुख्य पद निम्न प्रकार हैं।

(1) उत्पाद का चयन करना
(2) प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रूपरेखा तैयार करना
(3) स्वामित्व निर्धारित करना
(4) स्थल का चुनाव करना
(5) भूमि क्रय करना
(6) टेन्डर
(7) विस्तृत प्रोजेक्ट रूपरेखा तैयार करना
(8) पंजीकरण
(9) वित्त योजना
(10) तकनीकी अनुमति
(11) मशीनरी के लिए ऑर्डर
(12) विद्युत कनेक्शन तथा पानी सप्लाई
(13) आयकर तथा बिक्रीकर
(14) आयात के लिए कच्चा माल
(15) कार्मिक व्यवस्था
(16) कच्चा माल
(17) ट्रायल रन
(18) मूल्य निर्धारण नीति
(19) विपणन
(20) लेखे तैयार करना
(21) वाणिज्यिक उत्पादन

लघु उद्योग की पंजीकरण प्रक्रिया :- प्रदेश के उद्योग निदेशालय / जिला उद्योग केन्द्र पर लघु उद्योगों का पंजीकरण कराया जाता है। लघु उद्योगों का पंजीकरण निम्न दो अवस्थाओं में कराया जाता है।

(i) **अस्थायी पंजीकरण** :- अस्थायी पंजीकरण से आशय उद्यमी द्वारा अपनी योजनानुसार एक नये उपक्रम स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाना है।

अस्थायी पंजीकरण प्राप्त करने हेतु उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र भरकर उद्योग निदेशालय / जिला उद्योग केन्द्र में देना होता है। अस्थायी पंजीकरण एक वर्ष के लिए मान्य होता है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसे अगले छः माह तक बढ़ाया जा सकता है। तथा उद्योग निदेशालय तीन बार समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(II) स्थायी पंजीकरण :- स्थायी पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि उपक्रम पूर्ण रूप से तैयार हो और औद्योगिक इकाई पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी हो जैसे भवन तैयार हो, पावर कनेक्शन प्राप्त कर लिया हो, मशीनरी लगा दी गई हो तथा इकाई उत्पादन प्रारम्भ करने की स्थिती में हो। ऐसा होने पर स्थायी पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र भरकर उद्योग निदेशालय में देना चाहिए। इसके पश्चात नामांकित अधिकारी उस इकाई का निरिक्षण करेगा। यदि निरिक्षण का परिणाम ~~ज्ञात~~ संतोषजनक है तो स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इसके पश्चात यह इकाई पूर्ण क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ कर सकती है।

Data Collection for setting up small Ventures :- लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निम्न data के संग्रहण की आवश्यकता होती है –

(1) उत्पाद एवं इसका उपयोग
(2) बाजार सम्भाव्यता
(3) उत्पादन लक्ष्य
(4) उत्पादन का विवरण तथा विनिर्माण प्रक्रिया
(5) गुणवत्ता नियन्त्रण मापक
(6) भूमि तथा भवन
(7) मशीनरी तथा उपकरण
(8) स्टॉफ एवं श्रमिक
(9) कच्चे पदार्थ की आवश्यकता प्रतिमाह
(10) अन्य खर्चे प्रतिमाह
(11) कार्यशील पूंजी
(12) कुल पूंजी निवेश
(13) बिक्री विवरण। प्रतिवर्ष
(14) लाभांश
(15) लाभ विच्छेद बिन्दु